FORM-A

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पूर्णियॉ

उपस्थितः– श्री नरेन्द्र कुमार, विशेष न्यायाधीश,
अ.ज./अ.ज.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पूर्णियॉ

विशेष एस.सी/एस.टी वाद सं0 103/2016

निर्णय दिनांक 09वीं जून, 2026

सी.आई.एस. सं. 103/2016

प्राथमिकी एस.सी/एस.टी थाना कांड सं. 32/2016

सूचक	बिहार राज्य द्वारा सुमन रजक
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री अरूण कुमार पासवान, विद्वान विशेष लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1. विकास कुमार मिश्रा, उम्र–30 वर्ष, पे0 किशुनदेव मिश्रा 2. तपेश्वर मिश्रा, उम्र–32 वर्ष, पे0 लक्ष्मण मिश्रा 3. पंकज कुमार मिश्रा, उम्र–30 वर्ष, पे0 सचिदानन्द मिश्रा 4. अभिमन्यू मिश्रा उर्फ बउआ मिश्रा, उम्र–32 वर्ष, पे0 सचिदानन्द मिश्रा 5. लक्ष्मण मिश्रा, उम्र–75 वर्ष, पे0 स्व. शकुन मिश्रा सभी साकीन ग्राम–राजघाट बरैल, थाना–मिरगंज, जिला पूर्णियॉ।
द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री प्रदीप कुमार मिश्रा, विद्वान अधिवक्ता

FORM-B

घटना तिथि	**25.07.2016**
प्राथमिकी तिथि	**02.08.2016**
आरोप पत्र की तिथि	**31.08.2016**
आरोप गठन की तिथि	**16.04.2019**
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	**15.06.2019**
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	**03.06.2026**
निर्णय की तिथि	**09.06.2026**
दण्ड़ादेश की तिथि, यदि कोई हो	दोषमुक्त

ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for purpose of Section 428 Cr.P.C.
1	विकास कुमार मिश्रा	–	–	341,323,447,504,506 भा. द. वि. एवं 3(i)(r)(s) **SC/ST (PoA) Act**	दोषमुक्त	–	–
2	तपेश्वर मिश्रा	–	–	341,323,447,504,506 भा. द. वि. एवं 3(i)(r)(s) **SC/ST (PoA) Act**	दोषमुक्त	–	–
3	पंकज कुमार मिश्रा	–	–	341,323,447,504,506 भा. द. वि. एवं 3(i)(r)(s) **SC/ST (PoA) Act**	दोषमुक्त	–	–
4	अभिमन्यू मिश्रा उर्फ बउआ मिश्रा	–	–	341,323,447,504,506 भा. द. वि. एवं 3(i)(r)(s) **SC/ST (PoA) Act**	दोषमुक्त	–	–
5	लक्ष्मण मिश्रा	–	–	341,323,447,504,506 भा. द. वि. एवं 3(i)(r)(s) **SC/ST (PoA) Act**	दोषमुक्त	–	–

नि–र्ण–य

1. उपरिनामित अभियुक्तों के विरूद्ध अधीन धारा 341,323,447,504,506 भा. द. वि. एवं धारा 3(i)(r)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में आरोप गठित कर इसकी व्याख्या हिन्दी में कर इसे सुनाया वो समझाया गया जिसे अभियुक्तों द्वारा इन्कार किया गया और दोषी होने का अभिवाक् नहीं किया गया और विचारण किये जाने का दावा किया गया।

2. संक्षेप में, इस मुकदमें का मुख्य अभियोजन पक्षकथन यह है कि सूचक सुमन रजक द्वारा संबंधित थाना में लिखित आवेदन दाखिल कर इस आशय का प्राथमिकी दर्ज कराया गया है कि दिनांक 25.07.2016 को दिन के 3 बजे अभियुक्तगण विकास कुमार मिश्रा, तपेश्वर मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा, अभिमन्यू मिश्रा उर्फ बउआ मिश्रा एवं लक्ष्मण मिश्रा ने सूचक के पिताजी को मवेशी चराने के लिए मना किये। साथ में, सभी मिलकर जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज करने लगे और गाली देने से मना करने पर मारपीट पर उतारू हो गये। सूचक स्वयं गाली देने से मना किये तो अभियुक्त लक्ष्मण मिश्रा भी गाली–गलौज एवं मारपीट करने पर उतारू हो गये और जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अभियुक्त तपेश्वर मिश्रा अपने हाथ में लिए लाठी से मारपीट किये एवं अन्य अभियुक्त लक्ष्मण मिश्रा एवं अभिमन्यू मिश्रा उर्फ बउआ मिश्रा फाईट–मुक्का से मारपीट किये जिससे सूचक जख्मी हो गये और जब सूचक के पिताजी के द्वारा मना किया गया तो अभियुक्त पंकज कुमार मिश्रा एवं विकस कुमार मिश्रा ने भी फाईट–मुक्का से मारपीट किये और इसी बीच अभियुक्त लक्ष्मण मिश्रा सूचक के जेब से 5 हजार रूपया निकाल लिये। सूचक जब बचाओ–बचाओ हल्ला किये तो स्थानीय लोग दौड़कर घटनास्थल पर पहुॅचे तो अभियुक्तगण स्थानीय लोगों को देखकर धमकी देते हुए एवं जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए भाग गये और यह भी धमकी दिये कि केस करोगे तो खैर नहीं होगा। स्थानीय लोग अधिक मार होने से बचाये। तदनुसार प्राथमिकी दर्ज की गई।

3. सूचक के द्वारा थाने में दिये गये कांड से संबंधित आवेदन के आधार पर एस.सी/एस.टी थाना कांड सं0 32/2016 दिनांक 02.08.2016 दर्ज किया गया और मामले का अनुसंधान कार्य प्रारंभ किया गया। मोकम्मल छानबीन एवं अनुसंधानोंपरान्त आरोप पत्र सं0 44/2016 दिनांक 31.08.2016 कांड को सत्य पाकर आरोप पत्र दाखिल किया गया जिसके आधार पर अपराध का संज्ञान लिया गया।

4. इस मामले में, आरोप गठन पश्चात अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित वो पर्याप्त अवसर दिया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया और अभियोजन पक्ष का साक्ष्य बंद होने के पश्चात् अभियुक्तगण का बयान अधीन धारा–313 दंड प्रक्रिया संहिता में अभिलिखित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने साक्ष्य कथन को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।

5. अभियोजन पक्ष द्वारा गठित आरोप के समर्थन में दो साक्षी का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–1 सुमन रजक और अभियोजन साक्षी संख्या–02 सप्पन रजक है।

मौखिक साक्ष्य के अलावे दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्रदर्श पी–1 के रूप में प्राथमिकी आवेदन पर सूचक सुमन रजक का हस्ताक्षर है।

6. अभियुक्त पक्ष के द्वारा अपने बचाव में किसी भी साक्षी का साक्ष्य या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से

परीक्षित साक्षी का इनके द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है।

7. उभय पक्षकारण की बहस सूनी गई है। अभियुक्त पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सविस्तार बहस किया गया जिसमें तर्क दिया गया कि प्राथमिकी में अभिकथित घटना सही नहीं है। अभियुक्तों द्वारा सूचक को न तो जातिसूचक शब्द का प्रयोग कर गाली–गलौज कर अपमानित किया गया है और न ही फैट–मुक्का से मारपीट किया गया है और अभियुक्तों की कथित काण्ड में संलिप्तता का संदिग्ध साक्ष्य दिया गया है। अंत में, तर्क दिया गया कि इन अभियुक्तों को दोषसिद्ध होने हेतु अभिलेख पर समुचित साक्ष्य सामाग्री नहीं है।

दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा बहस किया गया कि महत्वपूर्ण तात्विक साक्षी इस मामले में परीक्षित कराये गये है।

8. सम्पूर्ण अभिलेख का अवलोकन किया। सत्यता की आंकलन हेतु अभिलेख पर परीक्षित इन साक्षीगण के साक्ष्य एवं प्रदर्श का अध्ययन एवं विवेचन किया जाना है।

<u>अवधारण के लिए बिन्दु</u>
(POINT FOR DETERMINATION)

9. विदित है कि इस अभियुक्तों के विरूद्ध यह आरोप गठित है कि दिनांक 25.07.2016 को समय 3 बजे दिन में मवेशी चराने से मना किये जाने पर अभियुक्तगण एक साथ सूचक एवं सूचक के पिताजी को जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली–गलौज किये और मना करने पर सदोष अवरोध करते हुए मारपीट किये एवं सूचक को अनुसूचित जाति का सदस्य जानकर भी लोकदृश्य में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अपमानित किये।

<u>चर्चा, निर्णय और उसके कारण</u>
(DISCUSSION, DECISION AND REASONS THEREON)

10. अभियुक्तों के विरूद्ध गठित आरोप के समर्थन में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन। विदित है कि गठित आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 2 साक्षी का साक्ष्य कराया गया है जिसमें अभियोजन साक्षी संख्या–सुमन रजक स्वयं सूचक एवं अभियोजन साक्षी संख्या– सप्पन रजक है। प्रदर्श पी–1 प्राथमिकी आवेदन के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 25.07.2016 को दिन के 3 बजे अभियुक्तगण विकास कुमार मिश्रा, तपेश्वर मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा, अभिमन्यू मिश्रा उर्फ बउआ मिश्रा एवं लक्ष्मण मिश्रा द्वारा मवेशी चराने से मना किये जाने पर सूचक को सदोष अवरोध करते हुए मारपीट एवं गाली–गलौज किये तथा लोकदृश्य में आने वाले स्थान पर जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अपमानित करने का काण्ड तथ्य वर्णित किया गया है और दौरान विचारण सूचक सुमन रजक का साक्ष्य अभियोजन साक्षी संख्या–1 के रूप में कराया गया है और इस साक्षी ने प्राथमिकी आवेदन पर अपने हस्ताक्षर की पहचान करते हुए इसे प्रदर्श पी–1 चिंहित कराया है और मुख्यपरीक्षण में यह साक्ष्य दिये है कि वर्ष 2016 में 02–02:30 बजे दिन में जब वह अपने खेत में जा रहे थे और रास्तें में इनके पिताजी भी खेत जा रहे थे तो इसी बात पर बाताबाती हुआ था और इसी बात को लेकर थाना में आवेदन दिया था। न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों की पहचान इस साक्षी के द्वारा किया गया है। इस साक्षी का अभियुक्त पक्ष द्वारा सविस्तार प्रतिपरीक्षण किया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 सप्पन रजक ने भी अपने मुख्यपरीक्षण वर्ष 2016 में कथित घटना को 02:00–02:30 बजे में कारित होने से समर्थित साक्ष्य देते हुए यह बताया गया है कि जब वह खेत में काम कर रहे थे तो अभियुक्त लक्ष्मण मिश्रा एवं इनके चाचा के बीच बाताबाती हुआ था और कुछ नहीं हुआ था। इस साक्षी का भी अभियुक्त पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया है।

11. अभियुक्तों के विरूद्ध गठित आरोप की धारा 341,323,447,504,506 भा. द. वि. एवं धारा 3(i)(r)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में आरोप गठित है और अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित दो साक्षी अभियोजन साक्षी संख्या–1सुमन रजक एवं अभियोजन साक्षी संख्या–2 सप्पन रजक ने अपने–अपने मुख्यपरीक्षण में कथित घटना में केवल बाताबाती होने का साक्ष्य दिया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या–2 सप्पन रजक ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्वीकार किये है कि मारपीट की कोई घ ाटना नहीं हुई थी और प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह स्वीकार किये है कि अभियुक्तों द्वारा जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए कोई गाली–गलौज नहीं किया गया था और अभियोजन साक्षी संख्या–1 सुमन रजक स्वयं सूचक अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह स्वीकार किये है कि प्राथमिकी आवेदन में क्या लिखा गया था, पढ़कर इन्हें नहीं सुनाया गया था। अभियुक्तगण जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए न तो गाली–गलौज किये थे और न ही मारपीट किये थे। अभियोजन पक्ष को समुचित अवसर दिये जाने पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा अन्य किसी अन्य तात्विक साक्षी का साक्ष्य नहीं कराया गया है और अन्वेषक साक्षी का भी साक्ष्य नहीं कराया गया है।

12. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्य विश्लेषण से यह न्यायालय पाती है कि स्वयं सूचक सुमन रजक द्वारा कथित घटना का समर्थन अपने साक्ष्य में नहीं किया गया है और उभय पक्ष में केवल बाताबाती होने का साक्ष्य दिया गया है और लोकदृश्य में आने वाले स्थान पर अभियुक्तों द्वारा जातिसूचक शब्द का प्रयोग करते हुए अपमानित करने का साक्ष्य भी साक्षी द्वारा नहीं दिया गया है। प्रतिपरीक्षण में आये तथ्यों पर विचार करने से यह मामला ही संदिग्ध प्रतीत होती है और इसका लाभ अभियुक्त पक्ष को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तदनुसार यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचती है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तों के विरूद्ध गठित आरोप की धारा 341, 323, 447, 504, 506 भा. द. वि. एवं धारा 3(i)(r)(s) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को सभी तर्कसंगत एवं उचित शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है। अतएव, यह न्यायालय इन अभियुक्तों क्रमशः विकास कुमार मिश्रा, तपेश्वर मिश्रा, पंकज कुमार मिश्रा, अभिमन्यू उर्फ बउआ मिश्रा एवं लक्ष्मण मिश्रा को इनके विरूद्ध गठित आरोप में निर्दोष पाती है। तदनुसार इन्हें दोषमुक्त करते हुए रिहा किया जाता है।

13. उपरिनामित अभियुक्तगण का जमानत बंधपत्र अधीन धारा 437क द.प्र. स. के प्रावधानानुकूल अगले छः मास तक प्रवृत्त रहेगा।

निर्णय दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया एवं खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)
ह0/–
(नरेन्द्र कुमार)
विशेष न्यायाधीश
अ.जा/अ.ज.जा (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, पूर्णियॉ

ह0/–
(नरेन्द्र कुमार)
विशेष न्यायाधीश
अ.जा/अ.ज.जा (अत्याचार निवारण)
अधिनियम, पूर्णियॉ

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, पूर्णियॉ

अनुक्रमणिका

विशेष एस.सी/एस.टी वाद सं. 103/2016

सी.आइ.एस. सं.–103/2016

प्राथमिकी संख्या– एस.सी/एस.टी थाना कांड सं0 32/2016

FORM-C

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESS

A. Prosecution:-

Rank	Name	Nature of Evidence
P.W.-1	सुमन रजक	चक्षुदर्शी
P.W.-2	सप्पन रजक	चक्षुदर्शी

B. Defecne Witness, if any:-

Rank	Name	Nature of Evidence
D.W.-1	–	-

C. Court Witness, if any:-

Rank	Name	Nature of Evidence
CW1	-	-

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:-

No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श–P-1	प्राथमिकी आवेदन पर सूचक सुमन रजक का हस्ताक्षर।

B. Defence:-

No.	Exhibit Number	Description
1.	–	–

C. Court Exhibits:-

No.	Exhibit Number	Description
-	-	-

D. Material Object:-

No.	Material Object Number	Description
-	-	-

ह0/–
(नरेन्द्र कुमार)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) अधिनियम,
पूर्णियॉ

Date of Judgment	09.06.2026
Date of reserving Judgment	03.06.2026
Uploading date	10.06.2026
Uploaded by	Chandan Singhaniya C.R.-cum-D.W.